



पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि०

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग

विद्युत भवन, नजदीक-आई०एस०बी०टी० क्रॉसिंग, सहारनपुर रोड़, माजरा, देहरादून-248002

दूरभाष नं० 0135-2645249 फैक्स नं० 0135-2645249 email:-hr@ptcul.org

पत्रांक: ५३ / मा०सं०एवंप्र०वि० / पिटकुल / पी-३

दिनांक: 03.01.2022

कार्यालय ज्ञाप

सेवानिवृत्त/दिवंगत कार्मिकों के पुनरीक्षित पेंशनरी लाभों/देयकों के निर्धारण/भुगतान विषयक कारपोरेशन के ज्ञापांक 1650/मा०सं०एवंप्र०वि०/पिटकुल/पी-३ दिनांक 26.11.2017 एवं सपठित आदेश सं० 1498/मा०सं०एवंप्र०वि०/पिटकुल/पी-३ दिनांक 23.10.2019 के अनुक्रम में तथा उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के आदेश 325/XXVII(7)02/2016 दिनांक 29.12.2021 की अनुरूपता में ऐसे समस्त पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स, जिन्हें पिटकुल से पेंशन/पारिवारिक पेंशन देय है, को दिनांक 01 जुलाई 2021 से 28 (अठ्ठाइस) प्रतिशत के स्थान पर 31 (इक्कतीस) प्रतिशत मंहगाई राहत दिये जाने की एतद्द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है।

अग्रेत्तर पेंशन/पारिवारिक पेंशन की धनराशि पर मंहगाई राहत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार अनुमन्य होगी।

प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक : ५३ / मा०सं०एवंप्र०वि० / पिटकुल / पी-३ तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सहायक-प्रबन्ध निदेशक, पिटकुल, देहरादून को प्रबन्ध निदेशक महोदय के संज्ञानार्थ।
2. निजी सहायक/डाटा एन्ट्री आपरेटर-निदेशक (परिचालन)/मा०सं०/(वित्त), पिटकुल, देहरादून को निदेशकगणों के संज्ञानार्थ।
3. निदेशक कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तराखण्ड शासन, 23 लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
4. निदेशक, लेखा हकदारी, उत्तराखण्ड शासन, 23 लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
5. समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर-I/II)/महाप्रबन्धक, पिटकुल.....।
6. समस्त अधीक्षण अभियन्ता/उपमहाप्रबन्धक, पिटकुल.....।
7. अधिशासी अभियन्ता (सूचना एवं प्रौद्योगिकी), पिटकुल, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि विषयगत आदेश को पिटकुल की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने का कष्ट करें।
8. समस्त अधिशासी अभियन्ता/आहरण वितरण अधिकारी, पिटकुल.....।
9. कट फाइल।

(अशोक कुमार जुयाल)
उपमहाप्रबन्धक (ओ०सं०)